बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 188 ● नई दिल्ली ● शनिवार 26 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली के इन 2 झुग्गियों पर चलने वाला है बुलडोजर, आप नेता आतिशी का बड़ा दावा, नोटिस भी दिखाया

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी पर निशाना साधा है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार दो और झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने जा रही है. उन्होंने दिल्ली में शुक्रवार (25 जुलाई) को कहा कि शालीमार बाग और रोहतास नगर में बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है. लोगों को नोटिस मिले हैं. आतिशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय में वादा किया कि दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा. पूरी दिल्ली में गरीब को कार्ड दिए गए, जहां झुग्गी वहीं मकान. पीएम मोदी ने खुद वादा किया कि जब तक मकान नहीं मिलेगा, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी.

उन्होंने कहा, बीजेपी की जब से चार इंजन की सरकार बनी है, एक के बाद एक दिल्ली के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. बीजेपी की सच्चाई सामने आ गई. दरअसल, वो कह रहे थे कि जहां झुग्गी है, उसको मैदान बना देंगे. उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय में मद्रासी कैंप, भूमिहीन कैंप, वजीरपुर, जेलरवाला बाग, गोकुलपुर, मादीपुर में बुलडोजर

चला. अब दो और झुग्गियों शालीमार बाग और रोहतास नगर में बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है.

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस दिखाते हुए कहा, सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग में इंदिरा कैंप में नोटिस लगाया गया है. 15 दिन के अंदर इस झुग्गी पर बुलडोजर चला दिया जाएगा. सीएम बार-बार कहती हैं कि एक भी बुलडोजर नहीं चलेगा. 1990 में ये झुग्गी दी गई. कार्ड दिए गए, टोकन दिए गए. 35 साल से लोग, ये गरीब यहां रह रहे. अब ये सरकार बुलडोजर चलाने जा रही है.

आतिशी ने दी आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने कहा, इसी तरह जीटी रोड शाहदरा में लाल बाग की झुग्गी पर नोटिस लगवाया गया है. 31 जुलाई को इस झुग्गी पर बुलडोजर चलाया जाएगा. लोगों के पास 1990 के अलॉटमेंट कार्ड्स है. आज तक किसी सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया. लेकिन जब से चार इंजन की सरकार आई है, बुलडोजर चलाया जा रहा है.

पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, बीजेपी से कहना चाहती हूं कि गरीबों की ताकत को कम नहीं समझिए. उनकी मेहनत से दिल्ली चलती है. ये लोग बस, गाड़ी चलाते हैं. घरों में काम करते हैं. यही लोग जो दिल्ली को चलाते हैं, ये लोग ही दिल्ली को रोकने का काम करेंगे. लोग सड़कों पर उतरेंगे. आप गरीबों की लड़ाई लड़ रही है. इन झुग्गियों को बचाने को लिए सड़क, संसद में आवाज उठाएंगे.

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परिसीमन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दोनों राज्यों के खिलाफ कथित भेदभाव की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि राज्यों में परिसीमन से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अलग है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखना मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं था और इसलिए संवैधानिक है। इसके अलावा, शीर्ष न्यायालय ने के पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया, जिन्होंने केंद्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी, जो दोनों राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। रेड्डी ने तर्क दिया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर, केवल नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना एक अनुचित वर्गीकरण बनाता है और इसलिए, असंवैधानिक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 26 संविधान के अनुच्छेद 170 के अधीन है और उसके अनुसार परिसीमन प्रक्रिया 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद ही की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नए परिसीमन की याचिका को स्वीकार करने से अन्य राज्यों द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाने की मांग करने वाले मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने समन पर रोक का अंतरिम आदेश रखा बरकरार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामले में सुनवाई पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। साल 2022 में कांग्रेस नेता ने विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में स्थगन की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य ने राहुल गांधी की याचिका का जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को कहा कि अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे द्वारा दर्ज की गई शिकायत सही है। राहुल गांधी के बयान समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से दिए गए थे। बता दें कि 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणी गैर-जिम्मेदाराना है। आजादी के सेनानियों का उपहास नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली की सीसीटीवी परियोजना पर सवालः 32,000 कैमरे खराब, 15,000 का अता-पता नहीं, ऑडिट कराएगी सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी सीसीटीवी परियोजना, गंभीर खामियों का पता चलने के बाद जांच के दायरे में आ गई है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए 2.64 लाख सीसीटीवी कैमरों में से 32,000 से ज्यादा कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा कैमरे अभी भी लगे नहीं हैं। कई इलाकों में, लगाए गए कैमरों की संख्या स्वीकृत संख्या से काफी कम है। इसके जवाब में, मौजूदा सरकार ने कमियों का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए पूरी परियोजना का व्यापक तकनीकी ऑडिट कराने की घोषणा की है। इस बीच, 19 मार्च को, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने आप नेता और पूर्व विधायक सत्येंद्र जैन के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के लिए 571 करोड़ रुपये की सीसीटीवी परियोजना के

संबंध में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त (सीपी) और एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा के अनुसार, 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर कथित तौर पर 16 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति मुआवजे को मनमाने ढंग से माफ कर दिया गया। पूर्व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीबी ने कहा, ‹सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के लिए सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर 7 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की व्यवस्था की गई थी। पिछली देरी के बावजूद, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को इस परियोजना के तहत 1.4 लाख कैमरों के अतिरिक्त ऑर्डर मिले। कथित तौर पर रिश्वत उन ठेकेदारों के माध्यम से दी गई, जिन्हें अतिरिक्त ऑर्डर से लाभ हुआ। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना कथित तौर पर घटिया तरीके से पूरी की गई, जिसमें कई कैमरे परियोजना हस्तांतरण के समय भी खराब थे। इसके अलावा, विभिन्न विक्रेताओं से जुड़ी रिश्वत को समायोजित करने के लिए भुगतान को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। एसीबी पहले ही बीईएल के एक अधिकारी से पूछताछ कर चुकी है, जिसने आरोपों की पुष्टि की और शिकायत का विस्तृत विवरण दिया। पीडब्ल्यूडी और बीईएल के दस्तावेजों की आगे के सबूतों के लिए जाँच की जा रही है।

मणिपुर में छह महीने के लिए बढ़ा राष्ट्रपति शासन, संसद में प्रस्ताव को मंजूरी

नई दिल्ली।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए एक प्रस्ताव के बाद, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। यह विस्तार 13 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, ‹यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करता है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के तुरंत बाद, जिसका मुख्य कारण मैतेई समुदाय से संबंधित साथी भाजपा विधायकों द्वारा बढ़ते राजनीतिक दबाव था, जो उनके नेतृत्व का विरोध कर रहे थे। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का यह कदम सत्तारूढ़ एनडीए के मैतेई और नागा विधायकों द्वारा राज्य में निर्वाचित सरकार की बहाली के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के बीच उठाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356(3) के तहत, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से लागू किया जाता है, जो आमतौर पर छह महीने तक चलता है और संसद की मंजूरी से हर छह महीने में अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। इस बीच, 3 मई, 2023 को कुकी-जो और मैतेई समुदायों के बीच छिड़े जातीय संघर्ष में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। एक अलग घटना में, सुरक्षा बलों ने गुरुवार को इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, तेंगनौपाल और चंदेल जिलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के आठ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया।

दिल्ली में यमुना उफान पर, नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचा

नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। इससे पहले यमुना नदी के जलस्तर में बृहस्पतिवार को कमी आई थी। बुधवार को यह 204.13 मीटर पर पहुंच गया था, जो चेतावनी के निशान से केवल 0.37 मीटर कम है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह पुराने लोहे के पुल पर जलस्तर 203.29 मीटर था, जो चेतावनी के स्तर 204.50 मीटर से 1.21 मीटर कम है। वहीं, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, मंगलवार को इस मानसून में पहली बार हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी का निर्वहन 50,000 क्यूसेक से अधिक हो गया। रात 1 बजे के आसपास 54,707 क्यूसेक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। साल 2024 में भारी बारिश के बावजूद दिल्ली चेतावनी स्तर को छूने से बाल-बाल बच गई थी। सितंबर के अंत में यमुना का जलस्तर 204.38 मीटर पर पहुंच गया था। इसके विपरीत, जुलाई 2023 की विनाशकारी बाढ़ में जलस्तर रिकॉर्ड 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और हथिनीकुंड से अधिकतम निर्वहन 3.59 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद की याचिका पर एनआईए को जारी किया नोटिस, 29 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। दरअसल, सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। विशेष एनआईए अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए 24 जुलाई से 4 अगस्त तक हिरासत में पैरोल दे दी। राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने हिरासत में पैरोल मंजूर की थी।

जेलरवाला बाग-वज़ीरपुर में राहुल गांधीः बेघर हुए लोगों के बने हमदर्द, न्याय का दिलाया भरोसा

नई दिल्ली। संसद के चल रहे मानसून सत्र के बीच, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अशोक विहार स्थित जेलरवाला बाग और वजीरपुर झुग्गियों का दौरा किया, जहाँ पिछले महीने कई घर गिराए गए थे। कांग्रेस नेता ने झुग्गियों का निरीक्षण किया और लोगों से बात की, जिन्होंने बेघर होने की अपनी समस्याएँ साझा कीं। गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनके साथ है और उनकी लड़ाई को अदालत तक ले जाएगी। उन्होंने लोगों को यह मुद्दा संसद में उठाने का भी आश्वासन दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 16 जून को अशोक विहार इलाके के जेलरवाला बाग और वजीरपुर की झुग्गियों में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को हटाने के लिए तोड़फोड़ अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान लगभग 200 घरों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे कई लोग बेघर हो गए। आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, दोनों ही लगातार इन तोड़फोड़ अभियानों को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। डीडीए के अनुसार, यह अभियान जेलरवाला बाग के घरों पर केंद्रित था, जहाँ निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले ही वैकल्पिक फ्लैट आवंटित किए जा चुके थे, और वजीरपुर में रेलवे लाइन के पास की जमीन को खाली कराने के लिए तोड़फोड़ की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1675 फ्लैट बनाए गए, जिनमें से 985 फ्लैट आवंटित कर दिए गए। बाकी लोगों को फ्लैट नहीं मिले और कुछ लोगों ने तो जमीन खाली करने पर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश भी ले लिया।

मुर्मू के राष्ट्रपति कार्यकाल के तीसरे साल में वैश्विक संबंध मजबूत हुए, समावेशिता को बढ़ावा मिला

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में विभिन्न देशों की यात्रा कर वैश्विक संबंध मजबूत करने से लेकर पूरे राष्ट्रपति भवन परिसर को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुर्मू (67) ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। शुक्रवार को उनके कार्यकाल के तीन साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा, विभिन्न सुविधाएं स्थापित करके राष्ट्रपति भवन को दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुलभ बनाया गया है। अमृत उद्यान और राष्ट्रपति संग्रहालय को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति विभिन्न पहल के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें पर्पल फेस्ट (विविधता का जश्न मनाने वाला कार्यक्रम) और दिव्यांगजनों को राष्ट्रपति भवन और उसके अमृत उद्यान में आमंत्रित करना शामिल है। गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपति की वेबसाइट भी अब 22 भाषाओं में उपलब्ध है। राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में न्यूजीलैंड, फिजी, तिमोर-लेस्ते, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी, पुर्तगाल, स्लोवाक गणराज्य और रोम का दौरा किया। गुप्ता ने बताया कि वह फिजी, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं। मुर्मू के राष्ट्रपति कार्यकाल के तीसरे वर्ष से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ने देश के विभिन्न इलाकों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी यात्राओं के दौरान बच्चों से मुलाकात की और समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से आदिवासी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बातचीत करके महिला-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दिया।

नई दिल्ली द्य (ए के चौधरी) भारतीय जनता पार्टी व दिल्ली सरकार ने अशोक विहार और वज़ीरपुर में घर उजाड़ दिए, लोग बेघर हो गए। विपक्ष के नेता राहुल गाँधी जी पीड़ितों से मिलने पहुँचे, उनका दर्द सुना और साथ खड़े हुए. छाया-साहिल गौड़

बिहार से दिल्ली तक सियासी संग्राम-क्या मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण थ्योरी, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी ?

वैश्विक स्तर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इन दिनों 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक संसद का मानसून सत्र चल रहा है,जो चौथे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, विशेष गहन पुनरीक्षण पर जोरदार हंगामा चल रहा है, जिसे हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी की संज्ञा दी जा रहा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि,वर्तमान डिजिटल युग में पूर्ण पारदर्शिता हर क्षेत्र में होना चाहिए ताकि भारत के सभी नागरिकों को उस काम की रिपोर्ट दर्शिका पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कि कोई हेरफेरी गड़बड़ी या अनुचित प्रक्रिया कर किसी को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। यदि किसी को कोई संदेह है तो संसद सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जहां शांतिपूर्वक बात रखी जा सकती है। आज इस विषय पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले चार दिनों से संसद के दोनों सदन हंगामा की वजह से बाधित होकर स्थगित हो रहे हैं व काम पूरे तरह से बाधित है। बता दें संसद की कार्यवाही के प्रति मिनट की कास्ट 2.50 लाख रुपए होती है जो इन चार दिनों में करोड़ों में आंकड़ा होगा, जो कर दाताओं की गाढ़ी कमाई का अपव्यय हो रहा है, दूसरी और पारदर्शिता की बात करें तो विशेष गहन पुनरीक्षण से लाखों जाली मतदाताओं को हटाया जाना कोई बुरा नहीं है।मेरा मानना है कि यह ऐसा एसआईआर पूरे भारत में पंचायत समिति से लेकर संसद तक हर स्तर पर की जानी चाहिए, ताकि चुनाव में पारदर्शिता व साफ सुथरे की एक संवैधानिक संस्थान की प्रतिष्ठा कायम होगी, क्योंकि जिस एसआईआर को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है, इसका जनजागरण करने की आवश्यकता है। चूंकि मतदाता लिस्ट से संवैधानिक रूप से जो पूरी तरह से अपात्र है, व लिस्ट में जुड़े हुए हैं तो उनको हटाया जाना ही स्वस्थ लोकतंत्र का असली सम्मान है, जिसे चुनावी विश्वसनीयता भी बढ़ती जाएगी।इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, बिहार से दिल्ली तक सियासी संग्राम, क्या मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण सेसिट थ्योरी, हिंदुस्तान में इलेक्शन की चोरी है। साथियों बात अगर हम मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 चार दिनों से बाधित कामकाज की करें तो, मानसून सत्र के तीसरे दिन भी कोई काम नहीं हो सका है,विपक्ष के भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और सत्यापन यानी एसआईआर के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। एसआईआर के मुद्दे पर पटना से दिल्ली तक सियासी संग्राम है,बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे,आरजेडी के साथ ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक की पार्टियां इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी काले कपड़े पहनकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के साथ ही बिहार के भी दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित हो रही है। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है जबकि सरकार का रुख है कि इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, चुनाव आयोग की तरफ से सरकार जवाब नहीं दे सकती है।संसद का मानसून सत्र, जैसा कि अपेक्षित था, हंगामेदार रहा, लेकिन बार-बार स्थगित होने की सुर्खियों के पीछे एक वास्तविक लागत छिपी है,संसद के सक्रिय घंटों के दौरान प्रत्येक मिनट के लिए 2.5 लाख रुपये। वर्तमान सत्र सोमवार को शुरू हुआ और दो प्रमुख मुद्दे, जिनके कारण दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है,राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा में हंगामा अधिक रहा, बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण जिसे विपक्ष ने सत्तारूढ़ गठबंधन की मदद करने का प्रयास बताया है, तथा विपक्षी दलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग थी।संसद के प्रत्येक सदन को प्रतिदिन छह घंटे तक उत्पादक होना चाहिए,भोजनावकाश के एक घंटे को छोड़कर। 2012 में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री के अनुसार, सत्र के दौरान संसद को एक मिनट चलाने पर 2.5 लाख रुपये का खर्च आता है, या लोकसभा और राज्यसभा के लिए1.25 लाख रुपये का खर्च आता है। ये आंकड़े अब एक रूढ़िवादी अनुमान है, क्योंकि ये एक दशक से भी अधिक पुराने हैं, लेकिन अद्यतन आंकड़ों के अभाव में, हम आगे की गणना के लिए इन्हीं का उपयोग करेंगे। मानसून सत्र में चार दिन हो चुके है, यानी हर सदन को 18 घंटे काम करना चाहिए था।हालांकि, गैर- लाभकारी संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, स्थगन के कारण राज्यसभा में 4.4 घंटे और लोकसभा में मात्र 0.9 घंटे या 54 मिनट ही काम हुआ है। इसका अर्थ यह है कि व्यवधानों के कारण करदाताओं को राज्यसभा के लिए 10.2 करोड़ रुपये (816 मिनट का नुकसान, 1.25 लाख रुपये से गुणा) तथा लोकसभा के लिए 12.83 करोड़ रुपये (1,026 मिनट का नुकसान,1.25 लाख रुपये से गुणा) का नुकसान हुआ है।

साथियों बात अगर हम बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली मानसून सत्रतक संसद में हंगामें के कारणों की करें तो, बिहार में चल रही विशेष मतदाता सत्यापन प्रक्रिया यानी एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा होने में अब केवल दो दिन का समय बचा है, शुक्रवार (25 जुलाई, 2025) को भारतीय चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण समाप्त हो जाएगा औपुनरीक्षण प्रक्रिया के पहले चरण के तहत 56 लाख मतदाताओं का नाम बिहार मतदाता सूची से कटना तय है।चुनाव आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बिहार के 56 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम एक अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं होंगे,बिहार वोटर एसआईआर को लेकर सामने आए ताजा आंकड़े-भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से बुधवार (23 जुलाई) को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक,(1)करीब 20 लाख मतदाता मृत पाए गए(2)करीब 28 लाख मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं (3)7 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है (4)1 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता है, जिनका पता नहीं चल पाया है इन आंकड़ों के आधार पर ये कुल संख्या 56 लाख से ज्यादा मतदाताओं की है,हालांकि, भारतीय चुनाव आयोग सत्यापन प्रक्रिया के तहत अब तक बिहार के कुल मतदाता संख्या के 98.01 प्रतिशत का सत्यापन कर चुका है।

पशुओं पर क्रूरता के आरोपी संस्थान IISC के वैज्ञानिक को पालमुर बायोसाइंसेज़ के निरीक्षण हेतु नियुक्त कराने के लिए सरकारी संस्था CCSEA का दबाव, PETA इंडिया ने दर्ज कराई आपत्ति

नई दिल्ली (विजय कुमार भारती) पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऐनिमल्स (PETA) इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पशुओं पर परीक्षणों की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए गठित सरकारी समिति (CCSEA) की उस मांग पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) के मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक डॉ. रामचंद्र एस. जी. को पालमुर बायोसाइंसेज़ में पशुओं पर की गई क्रूरता की जांच हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त बनाने की सिफारिश की गई है। CCSEA ने यह तथ्य न्यायालय से छुपा लिया कि IISC स्वयं 2022 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और CPCSEA (अब CCSEA) की पूर्व अध्यक्ष मेनका गांधी द्वारा बड़ी संख्या में प्रजातियों की हत्या और अन्य क्रूरता के आरोपों के घेरे में रहा है। CCSEA ने यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया कि पालमुर बायोसाइंसेज़ की जांच के लिए नियुक्त किए जाने वाले दो निरीक्षकों में से एकमात्र पशु चिकित्सा या वैज्ञानिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति डॉ. रामचंद्र एस. जी. हों, जबकि उसने PETA इंडिया द्वारा सुझाए गए सभी पशु चिकित्सा विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के नामों को सख्ती से खारिज कर दिया। CCSEA ने डॉ. रामचंद्र एस. जी. को एक स्वतंत्र निरीक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जबकि वह स्वयं CCSEA की कोर कमेटी के सदस्य हैं, इस तथ्य को PETA इंडिया ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया है। निरीक्षण के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दूसरे निरीक्षक एक वकील होंगे जो प्रक्रिया में पर्यवेक्षक (observer) की भूमिका निभाएंगे। साथ ही PETA इंडिया ने यह भी अनुरोध किया है कि न्यायालय पालमुर बायोसाइंसेज़ द्वारा पुनर्वास हेतु चिन्हित की गई 73 बीगल प्रजातियों को रिहा करने का निर्देश दे जिन्हें अब भी प्रयोगशाला में पिंजरों में बंद रखा गया है ताकि उन्हें देखभाल एवं गोद लेने के लिए इच्छुक प्रतिष्ठित संगठनों को सौंपा जा सके।

PETA इंडिया द्वारा कुत्तों, बंदरों और मिनीपिग्स के साथ की गई क्रूरता से संबंधित अंदरूनी सूचनाओं के आधार पर, CCSEA द्वारा नियुक्त निरीक्षकों की एक बहुविषयक टीम ने 11-12 जून 2025 को पालमुर बायोसाइंसेज़ में व्यापक निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के निष्कर्षों को 17 जून 2025 को CCSEA को सौंपे गए एक विस्फोटक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें पालमुर बायोसाइंसेज़ द्वारा पशुओं के प्रति गंभीर दुर्व्यवहार और कुप्रबंधन की पुष्टि की गई थी। निरीक्षकों ने आगे होने वाले दर्द और पीड़ा को रोकने के लिए तत्काल नियामकीय कार्रवाई, जिसमें पशुओं को हटाना और उनका पुनर्वास शामिल है, की सिफारिश की, साथ ही संस्थान के पंजीकरण और प्रजनन लाइसेंस की समीक्षा की आवश्यकता भी जताई।

लेकिन इन सिफारिशों पर कार्रवाई करने के बजाय, CCSEA ने असामान्य रूप से यह मांग करते हुए PETA इंडिया को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी कि वह बताए कि उसे यह निरीक्षण रिपोर्ट किसने दी, और अपनी वेबसाइट पर एक 'पब्लिक नोटिस' जारी करते हुए पालमुर बायोसाइंसेज़ के ग्राहकों से अनुरोध किया कि वे पालमुर से संबंधित PETA इंडिया की किसी भी जानकारी को नज़रअंदाज़ करें।

PETA इंडिया का कहना है कि IISC और पालमुर बायोसाइंसेज़ में हुई कथित क्रूर घटनाओं और इन मामलों को संभालने के तरीके में कई समानताएँ हैं। दोनों ही संस्थानों में वहां काम करने वाले लोगों ने पशुओं के साथ हो रही क्रूरता की जानकारी दी थी, और दोनों ही मामलों में CCSEA द्वारा किए गए पहले निरीक्षण में इस क्रूरता की पुष्टि हुई थी। साल 2022 में IISC में कुछ समय के लिए प्रयोग रोक दिए गए थे। दोनों संस्थानों ने यह कहकर आरोपों को टालने की कोशिश की कि जो खामियां सामने आईं, वे सिर्फ गलतफहमी या बातों को ठीक से समझ न बनने की वजह से हुईं। इसके बावजूद, IISC ने यह माना है कि वहां हर दिन करीब 50 पशुओं को मारा जाता था। साथ ही, साल 2018 में IISC ने एक वरिष्ठ प्रोफेसर को, जिस पर एक शोध छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप था, जबरन रिटायरमेंट लेने को कहा था।

PETA इंडिया की साइंटिस्ट और रिसर्च पॉलिसी एडवाइजर डॉ. अंजना अग्रवाल कहती हैं, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आभारी हैं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और पालमुर बायोसाइंसेज़ में पशुओं को पीड़ा को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। विडंबना यह है कि CCSEA ने अंदरूनी सूचनाओं और अपने ही निरीक्षकों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के बजाय, जिन्होंने संस्थान में गड़बड़ी की पुष्टि की और 1200 से अधिक पशुओं को तुरंत बचाने की सिफारिश की, PETA इंडिया पर लगातार हमले किए, उसे बदनाम करने का प्रयास किया और दबाव बनाने की कोशिश की। अब PETA इंडिया पालमुर बायोसाइंसेज़ को पूरी तरह बंद कराने की मांग करता है ताकि वहां के पशुओं को स्थायी और सुरक्षित राहत मिल सके।

17 जून 2025 को CCSEA द्वारा नियुक्त निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है- पालमुर बायोसाइंसेज़ (PBPL) में पाए गए परिचालन दोष केवल एकल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह संस्थागत, प्रक्रियात्मक और नैतिक विफलताओं का गहरा संकेत है। निरीक्षण के दौरान दर्ज किए गए उल्लंघनों का पैमाना और गंभीरता पशु कल्याण और नियामक जवाबदेही के स्थापित मानकों के पालन को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती है। यह स्थिति तुरंत ध्यान देने योग्य है–विशेष रूप से पशुओं को और अधिक दर्द, पीड़ा या कष्ट से बचाने के लिए उन्हें हटाने और पुनर्वासित करने के संदर्भ में। रिपोर्ट के निष्कर्षों में यह भी कहा गया है कि संस्थान के पंजीकरण और प्रजनन लाइसेंस की गंभीर और बार-बार नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर गंभीर समीक्षा की जानी चाहिए।

निरीक्षकों द्वारा पाए गए पशु क्रूरता और कुप्रबंधन के कई मामले और उदाहरण निम्नलिखित हैं-

•पालमुर बायोसाइंसेज़ परिसर में मौजूद पशुओं का कोई औपचारिक सूची प्रस्तुत नहीं कर सका। निरीक्षकों ने परिसर में 1232 से अधिक पशुओं की गिनती की, जिसमें CCSEA द्वारा अनुमोदित संख्या से कहीं अधिक कुत्ते पाए गए।

• सभी प्रजातियों में पशुओं को दर्दनाक प्रयोगों में बार-बार पुनः इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर पिछले प्रयोगों के केवल कुछ हफ्तों बाद, जो CCSEA के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। एक कुत्ते को प्रयोग के दौरान गंभीर कंपकंपी हुई और अंत में उसे मार दिया गया। गायों पर भी प्रयोग किए गए, और वे कमजोर हालत में पाई गईं।

•73 कुत्ते कथित 'पुनर्वास' की अस्थायी व्यवस्था में रखे गए हैं, जहां उनकी हालत प्रजनन और प्रयोगों में इस्तेमाल किए जाने वाले कुत्तों जैसी ही दयनीय है।

•कुत्तों को खराब हालत में पाया गया, जिनमें 'चेरी आई' जैसी समस्याएं थी और वे कमजोर थे, लेकिन उनके कोई उचित चिकित्सकीय रिकॉर्ड या बीमार पशुओं के उपचार के प्रमाण नहीं मिले। मिनिपिग्स और गायों की सामान्य शारीरिक स्थिति भी खराब थी।

•मानवतावादी वध के लिए आवश्यक सेडेटिव का कुत्तों को मारने से पहले उपयोग नहीं किया जाता, और कई आवश्यक दवाओं की कमी से पता चलता है कि वध प्रक्रिया अत्यंत अपर्याप्त है।

•निरीक्षकों ने कहा कि 'चिंता, भय और कष्ट प्रबंधन के लिए कोई प्रोटोकॉल मौजूद नहीं है।' दो बंदरों पर किए गए प्रयोग में, जिसमें घाव बनाने के लिए चीरा लगाया गया, कोई सेडेटिव नहीं दिया गया।

•निरीक्षकों ने यह भी नोट किया कि 'कोई सुव्यवस्थित, ऑन-साइट पशु चिकित्सकीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।'

•पशुओं की संख्या को देखते हुए, वहां दवाओं की बहुत कमी थी, खासकर सेडेटिव, दर्द निवारक, संज्ञाहरण और आपातकालीन दवाओं की।

•निरीक्षकों के बार-बार अनुरोध के बावजूद, केवल चयनित CCTV फुटेज ही उपलब्ध कराई गई।

निरीक्षकों ने यह भी बताया कि इस सुविधा में 'पशुओं के कल्याण और देखभाल के प्रति समग्र दृष्टिकोण चिंताजनक रूप से उदासीन है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपने संरक्षण में रखे गए पशुओं के स्वास्थ्य और भलाई को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।'

PETA इंडिया द्वारा किए गए अंदरूनी जानकारी आधारित खुलासे में दिखाया गया कि बीगल नस्ल के कुत्तों को इतने भीड़भाड़ वाले बाड़ों में ठूंसकर रखा गया कि वे एक-दूसरे को घायल कर खून बहाने लगे। मिनीपिग्स को इतनी बेरहमी से जकड़ दिया गया कि उनका खून निकल आया और जंगल से पकड़े गए डरे-सहमे बंदरों पर क्रूर प्रयोग किए जा रहे थे। अंदरूनी सूत्रों ने आरोप लगाए कि दर्द निवारक दवाएं तक उपलब्ध नहीं थीं, कई कुत्ते प्रक्रियाओं के दौरान अपंग हो गए या मर गए और पशुओं के साथ बेरहमी से बर्ताव किया गया। निरीक्षकों की रिपोर्ट ने भी पशुओं के प्रति क्रूरता और कुप्रबंधन की इन बातों की पुष्टि की है।

PETA इंडिया इस सिद्धांत में विश्वास रखता है कि पशु मनुष्यों द्वारा परीक्षण करने के लिए नहीं हैं, प्रजातिवाद का विरोध करता है। प्रजातिवाद एक ऐसी धारणा है जिसके तहत इंसान स्वयं को इस संसार में सर्वोपरि मानकर, अपनी जरूरतों के अनुसार अन्य प्रजातियों का इस्तेमाल एवं शोषण करता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट PETAIndia.com पर जाएं और हमें X, Facebook, Facebook हिन्दी, तथा Instagram पर फॉलो करें.

सम्पादकीय...

एक और बड़ा कदम

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर सहमति बन गई है। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) के अस्तित्व में आने से रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और व्यवसायों को नई वैश्विक पहचान मिलेगी। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की किफायती दरों पर पहुंच भी सुनिश्चित होगी। सीईटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं। पिछली यूपीए सरकार ने भारत के दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था। यूपीए सरकार में विकसित देश भारत के साथ व्यापार समझौते के अनिच्छुक थे, क्योंकि तब देश की गिनती दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी थी। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिकी की काया ही पलट गई। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2014 से लगभग तिगुना बढ़कर लगभग 331 लाख करोड़ रुपये हो गया है। क्रांतिकारी सुधारों, कारोबारी सुगमता और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आकर्षक आर्थिक गंतव्य के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संभावनाएं हैं। आज दुनिया भारत की अद्भुत विकासगाथा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रमुख देशों द्वारा एक के बाद एक एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं। ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। यह करीब 99 प्रतिशत टैरिफ समाप्त करता है, जो लगभग शत प्रतिशत व्यापार मूल्य को कवर करता है। यह 56 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लिए अपार अवसर बनाएगा, जिसके 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। इससे छोटे व्यवसाय समृद्ध होंगे, क्योंकि भारतीय उत्पादों को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी। खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के कारोबार में भारी विस्तार होगा। विश्व के एक आकर्षक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त चमड़ा और जूते, वस्त्र, समुद्री उत्पाद और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी। इन क्षेत्रों में, जहां कई छोटे व्यवसाय संचालित होते हैं, निवेश और रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। भारत के चमड़ा और जूता निर्यात में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत वस्त्र, चमड़ा और जूते के क्षेत्र में ब्रिटेन के शीर्ष तीन आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनने की बेहतर स्थिति में है। इस समझौते के बाद 95 प्रतिशत से अधिक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क लगेगा, जिससे कृषि निर्यात और ग्रामीण समृद्धि में तेज वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे अगले तीन वर्षों में कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुमान है, जो 2030 तक भारत के 100 अरब डॉलर के कृषि-निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देगा। इससे भारतीय किसानों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाजार के द्वार खुलेंगे, जो जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों को मिलने वाले फायदे के बराबर या उससे भी अधिक होगा। हल्दी, काली मिर्च, इलायची, प्रसंस्कृत उत्पादों, अचार और दालों को भी शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। निर्यात बढ़ने से कृषि आय में वृद्धि होगी तथा गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमाणन के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे कृषि मूल्य शृंखला में रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए एफटीए में भारत के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। भारत ने डेयरी उत्पादों, सेब, जई और खाद्य तेलों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। यह मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषक समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को दर्शाता है। समझौते से भारतीय मछुआरों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु के मछुआरों की ब्रिटिश बाजार में पहुंच सुगम होगी। यह समझौता सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवा और शिक्षा सहित अन्य सेवाओं में भारतीयों के लिए नए अवसर बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के एफटीए वस्तुओं और सेवाओं से कहीं आगे तक जाते हैं। आस्ट्रेलियाई एफटीए के साथ भारत ने दोहरे कराधान का मुद्दा सुलझाया, जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते का एक अहम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं, अस्थायी भारतीय कर्मियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। व्यापार समझौते प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। मोदी सरकार ने गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान किया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं और मुक्त व्यापार समझौतों पर बात आगे बढ़ाई है। सरकार ने किसी भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर से पहले उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया है। यह जानकर खुशी होती है कि उद्योग जगत ने इन व्यापार समझौतों का व्यापक रूप से समर्थन एवं स्वागत किया है। इसी कड़ी में ब्रिटेन के साथ यह समझौता बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों के लिए एक मानक है। यह हमारे मूल हितों से समझौता किए बिना, वंचित समुदायों के लिए आकर्षक वैश्विक अवसरों के द्वार खोलता है। यह इस बात का एक प्रखर उदाहरण भी है कि नया भारत व्यापार किस प्रकार करता है।

संसद और मतदाता सत्यापन

बिहार में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान संसद के चालू सावन सत्र में विपक्षी दलों का चुनाव आयोग व सरकार का विरोध जारी है जिसकी वजह से संसद चल नहीं पा रही है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा में विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य रोका जाये। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी गये थे मगर उसने भी पुनरीक्षण के कार्य पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। संसद शुरू हुए चार दिन हो गये हैं मगर अभी तक दोनों सदनों में कार्य शून्य के बराबर ही हुआ है। विपक्षी दल भी जानते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था है और सीधे संविधान से शक्ति लेकर अपने कार्यों का निष्पादन करती है। उसके कार्य में कोई भी सरकार दखलन्दाजी नहीं कर सकती। मगर विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग केन्द्र की सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के साथ मिला हुआ है और चुनावों में भाजपा को जिताने के लिए नई- नई तरकीबें खोजता रहता है। यह आरोप देश की संवैधानिक व्यवस्था के ढांचे में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव आयोग सीधे भारत के मतदाताओं व जनता के प्रति जिम्मेदार होता है। भारत में नागरिकों को मिला एक वोट का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि संवैधानिक अधिकारों के घेरे में आता है। संविधान कहता है कि चुनाव आयोग प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदाता सूची का हिस्सा बनायेगा। यहां भारतीय नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के निवासी और जायज नागरिक के बीच अन्तर करता है। भारत का निवासी होने के लिए केन्द्र ने कई वर्ष पहले आधार कार्ड जारी करने की नीति बनाई थी। इसी आधार कार्ड पर यह लिखा होता है कि यह नागरिकता का सबूत नहीं है बल्कि भारत के निवासी होने का सबूत है। अतः चुनाव आयोग यदि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं मान रहा है तो तकनीकी रूप से उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। अब सवाल यह है कि इस मुद्दे पर बिहार की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जो भूचाल उठा हुआ है उसकी कैफियत क्या है? इसकी कैफियत यह है कि देश भर में जाली मतदाताओं की संख्या अच्छी-खासी मानी जाती है। अकेले बिहार में ही चुनाव आयोग ने यह पाया है कि 50 लाख के लगभग मतदाता फर्जी या जाली हैं। इन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर ही होंगे क्योंकि ये लोग चुनाव आयोग द्वारा जारी 11 शर्तों में से किसी एक पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। गहन पुनरीक्षण का कार्य 25 जुलाई को समाप्त हो जायेगा और इसके बाद पूरे अगस्त महीने में कोई भी मतदाता या नागरिक सूची से बाहर किये गये व्यक्ति के मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठा सकता है। वह कह सकता है कि जिस पैमाने पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बाहर किया गया है वह गलत है। मगर उसे यह मय सबूत के सिद्ध करना होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति भारत का जायज नागरिक है अतः उसका नाम मतदाता सूची से बाहर न किया जाये। विपक्षी दल विगत में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बारे में कह रहे हैं कि चुनावों से पूर्व इस राज्य की मतदाता सूची में लाखों व्यक्तियों के नाम जोड़े गये जो फर्जी हैं। यह मामला संसद में भी कांग्रेस के विपक्षी नेताओं द्वारा उठाया गया। अगर चुनाव आयोग इससे सीख लेकर अब बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है तो इसमें क्या बुराई हो सकती है? विपक्ष का तर्क है कि बिहार से रोजी-रोटी की तलाश में भारी संख्या में लोग पलायन करते हैं। यह एक तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए पंजाब राज्य में खेती के मौसम के अन्तर्गत लाखों बिहारी पलायन करते हैं। वास्तव में पंजाब की अर्थव्यवस्था में पलायन किये हुए बिहारियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से अधिसंख्य ने पंजाब में ही अपना वोटर कार्ड बनवा लिया है क्योंकि अब स्थायी तौर पर ये इस राज्य के निवासी बनते जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण के दौरान पाया कि बिहार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके नाम दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में हैं। अतः वाजिब तौर पर कोई भी मतदाता केवल एक ही स्थान पर वोट डाल सकता है। इसलिए पुनरीक्षण के दौरान यदि यह तथ्य उजागर हो रहा है तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। दूसरा मामला अवैध बंगलादेशियों व म्यांमार से आये रोहिंग्या मुसलमानों का है। इन्होंने भी अपने नाम जोड़-तोड़ करके मतदाता सूचियों में डलवा लिये हैं, जिन्हें बाहर करने का पूरा हक चुनाव आयोग को है। अगर विपक्षी दल इस मुद्दे पर भारी शोर-शराबा करते हैं तो उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर भी देखना होगा। पूर्व में बिहार के मुख्यमन्त्री रहे राजद के नेता श्री लालू प्रसाद यादव ने भी इनके खिलाफ वक्तव्य दिया था और 2005 में प. बंगाल की मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही आरोप दोहराया था। इससे कम से कम यह तो पता चलता ही है कि विभिन्न राज्यों में अवैध वोटर कार्ड का मसला है। चुनाव आयोग इस मसले को हल करने की कोशिश यदि पुनरीक्षण करके करना चाहता है तो इसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए। मगर चुनाव आयोग को भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरह एक महीने के भीतर ही उसने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य केवल 30 दिनों में किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो। बिहार में कुल 7.8 करोड़ मतदाता हैं जिनकी तसदीक हुई है। यह तसदीक पूरी गहनता के साथ होनी चाहिए और एक भी जायज नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं होना चाहिए।

बिहार वोटर लिस्ट मामला- सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा समाधान?

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राज्य की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हंगामा जारी है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में विपक्षी इंडिया गठबंधन बिहार विधान सभा में लगातार इस मुद्दे को उठाकर एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा लगातार जारी है। मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी इंडिया गठबंधन जोर-शोर से इस मामले को लगातार उठा रही है लेकिन सरकार का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि एसआईआर अभियान चुनाव आयोग चला रहा है तो वह आयोग की तरफ से सदन में जवाब कैसे दे सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बिहार वोटर लिस्ट मामले को लेकर चल रहे घमासान के कारण 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान, अब तक दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण लगातार स्थगित की जा रही है। सदन की कार्यवाही स्थगित होते ही विपक्षी सांसद बाहर आकर संसद भवन परिसर के अंदर ही बिहार वोटर लिस्ट मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन में शामिल दो दर्जन के लगभग राजनीतिक दलों के सांसद भी इस विरोध प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद तो विरोध में शामिल है ही लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस तरह से सपा के सांसद भी जोर-शोर से इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं,वह सरकार की चुनौतियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश लगातार, सदन की कार्यवाही को चलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे के कारण इन दोनों को बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। सरकार और विपक्षी दलों के बीच जारी टकराव को देखते हुए अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर ही जाकर टिक गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट से समाधान का कोई रास्ता निकल पाएगा ? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐसा ठोस फैसला दे पाएगा,जिसे हर हाल में चुनाव आयोग को मानना भी पड़े और जिससे सभी राजनीतिक दल संतुष्ट भी हो जाए ? यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया था कि वह वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए मांगे जा रहे मान्य 11 दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करें। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को दायर किए गए अपने जवाबी हलफनामे में शीर्ष अदालत के इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने करुणा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैण्डवनगर एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। [illegible]

चिकित्सा सेवा और मानवता के प्रतीक डॉ. अचल एस. दवे को राष्ट्र टाइम्स के 45वें स्थापना दिवस पर किया गया सम्मानित

नई दिल्ली (साहिल गौड़)चिकित्सा जगत में चार दशकों से अधिक समय तक सेवा, करुणा और समर्पण की मिसाल बनकर उभरे प्रख्यात चिकित्सक डॉ. अचल एस. दवे (सेवा.) को राष्ट्र टाइम्स के 45वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विशेष सम्मान से अलंकृत किया गया।

यह सम्मान राष्ट्र टाइम्स के प्रधान संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी द्वारा शॉल, प्रतीक चिन्ह एवं स्मृति-स्मारिका प्रदान कर भेंट किया गया – जो न केवल उनके चिकित्सा क्षेत्र में योगदान की सराहना थी, बल्कि मानवता के प्रति उनके समर्पण का सम्मान भी।

डॉ. दवे ने यमुना पार के प्रतिष्ठित वालिया नर्सिंग होम में लगातार 37 वर्षों तक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के रूप में कार्य करते हुए न केवल हजारों रोगियों का इलाज किया, बल्कि उन्हें संवेदना, स्नेह और आशा भी दी। आज भी वे दया, शुचिता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक माने जाते है। इस अवसर पर विजय शंकर चतुर्वेदी

ने डॉ. दवे से अपने पारिवारिक रिश्तों और पुरानी यादों को साझा करते हुए कहा– डॉ. अचल दवे जैसे महानुभाव न केवल चिकित्सा सेवा के स्तंभ है, बल्कि समाज की आत्मा के सच्चे रक्षक भी है। वे आज भी निःस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों का निशुल्क उपचार कर रहे है – यह एक ऐसी सेवा है, जो शब्दों से परे है और समाज के लिए गौरव की बात है।–

इस आत्मीय और प्रेरणादायी भेंटवार्ता में यह स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि डॉ. दवे का जीवन केवल डॉक्टरी पेशे की सीमा में नहीं बंधा, बल्कि उन्होंने मानवता को अपनी विद्या का माध्यम बनाकर जीने की राह दिखाई है। उनकी सादगी, निष्ठा, और निःस्वार्थ भावना आज के समय में दुर्लभ है, और यही गुण उन्हें एक चिकित्सक से बढ़कर एक संतुलित, संवेदनशील और समाजोपयोगी व्यक्तित्व बनाते हैं। सम्मान केवल एक प्रतीक नहीं होता, वह समाज के प्रति किसी व्यक्ति के योगदान की अमिट छाप का स्वीकार होता है। डॉ. अचल एस. दवे का जीवन इस सच्चाई का जीवंत उदाहरण है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह डॉ. सुमिता मिश्रा ने की सीईटी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा

चण्डीगढ़ ।

हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने 26-27 जुलाई, 2025 को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए पंचकूला जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश जारी किए और लापरवाही के प्रति जीरो-टोलरेंस की नीति पर जोर दिया। डॉ. मिश्रा ने पुलिस को कड़ी निगरानी रखने और उम्मीदवारों तथा उनके अभिभावकों के प्रति विनम्र व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुंचने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी उम्मीदवार को कठिनाई होने पर वे सहायता के लिए निकटतम पुलिसकर्मी से संपर्क कर सकते है। पुलिस को निर्देश दिए गए कि उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की अड़चन आने पर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएं। उन्होंने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बस स्टैंड और अन्य प्रमुख स्थानों पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उम्मीदवारों और

अभिभावकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी संदेशों, पत्रों या अफवाहों पर ध्यान न देने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा ''हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस या जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें।'' गलत सूचना फैलाने या जाली दस्तावेज साझा करने के किसी भी प्रयास पर तत्काल पुलिस कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पंचकूला की उपायुक्त सुश्री मोनिका गुप्ता ने बताया कि पंचकूला जिला सीईटी 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पंचकूला, सेक्टर-5 बस स्टैंड से उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 108 से अधिक बसें तैनात की गई है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, कालका, मोरनी, बरवाला और रायपुररानी से दो पालियों में विशेष बसें भी रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर न केवल उम्मीदवारों के लिए, बल्कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू होगी। नकल की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए कोचिंग सेंटर और फोटोकॉपी की दुकानें दोनों दिन बंद रहेंगी। बैठक के दौरान, पुलिस उपायुक्त, सुश्री सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पंचकूला के 44 परीक्षा केंद्रों पर 550 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन द्वारा छतों से निगरानी रखी जाएगी। भीड़भाड़ से बचने के लिए विशेष यातायात प्रबंधन योजनाएँ लागू की गई है। उन्होंने कहा कि ''परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी निजी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

गलत पार्किंग से सख्ती से निपटा जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'' डीसीपी गुप्ता ने कहा कि ईआरवी (आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन) और पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) वैन के माध्यम से लाउडस्पीकर से घोषणाएँ छात्रों और जनता को मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। सभी पुलिस इकाइयों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी तरह की गड़बड़ी या शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया गया

बांदा।

वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला मुख्यालय पर आयोजित सभा में सपा जिला अध्यक्ष डॉ. मधुसूदन कुशवाहा ने कहा कि फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव ने जेल से निकालकर लोकसभा तक पहुंचाया, जबकि भाजपा शासन में वीआईपी इलाकों में उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने जनता से सवाल किया कि सोचिए, आपके साथ कौन है और कौन दिखावा कर रहा है? सभा के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद/पूर्व मंत्री/ विशंभर प्रसाद निषाद ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, –देश और प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर हैं।= उन्होंने कहा कि फूलन देवी पढ़ी-लिखी नहीं थीं, फिर भी उन्होंने हर बेटी के पढ़ने की कामना की थी, लेकिन आज की सरकार शिक्षा के मंदिरों को बंद करके मधुशालाएं खोल रही है ताकि गरीबों के बच्चे आगे न बढ़ सकें। उन्होंने कहा, अब न्याय के लिए फिर से फूलन देवी बनना पड़ेगा। त्रेता में सीता का अपहरण हुआ था, आज बहन-बेटियों पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, पर रावण खुले घूम रहे हैं। सभा में गायत्री प्रजापति, भगवती प्रसाद निषाद ने अपने पति स्व. अखिलेश निषाद की हत्या का मुद्दा भी उठा और उन्हों ने कहा कि सरकार दोषियों को बचा रही है। निषाद पार्टी के नेता व मंत्री संजय निषाद पर भी तीखा हमला बोलते हुए सावधान रहने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में शंकुतला निषाद, प्रबंधक एकलव्य इंटर कॉलेज झझरीपुरवा ने कहा, अगर न्याय चाहिए तो फूलन देवी बनना पड़ेगा। वहीं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शादिका खातून, केपी यादव, मजीद बाबू, हरीनारायण निषाद, राजनरायन साहू, शिवकरन पाल, पुरुषोत्तम गुप्ता, और पुष्पेंद्र सिंह चुनेले ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन प्रमोद निषाद (विधानसभा अध्यक्ष, तिंदवारी) ने किया, जबकि अध्यक्षता देवीदीन निषाद ने की। कार्यक्रम के अंत में वीरांगना फूलन देवी, नेता जी मुलायम सिंह यादव, और डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।

फरीदपुर में भीषण सड़क हादसा: मां-बेटे की मौत, तीन लोग गंभीर घायल

बरेली।

फरीदपुर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां और एक साल के मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार की बुजुर्ग महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक ऑटो चालक ने सामने से गलत दिशा में आ रही कार को बचाने की कोशिश की, इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो आगे चल रहे एक अन्य ट्रक से भी भिड़ गया। हादसे में मृतक शाहजहांपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के कपूर नगला निवासी जसवीर की 24 वर्षीय पत्नी पिंकी और उनका एक वर्षीय बेटा राघव है। जसवीर ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। शुक्रवार को वह पत्नी, मां रामसनेही और बेटे राघव को लेकर बहन के गांव छकिया तिवारी जा रहे थे, जहां नामकरण संस्कार में 'छोछक' की रस्म निभानी थी। रास्ते में उन्होंने खुदागंज से दो अन्य सवारियां भी बैठा लीं। जैसे ही ऑटो नवादावन गांव के पास पहुंचा, सामने से आ रही कार को बचाते समय ऑटो असंतुलित हो गया और पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। भिड़ंत के चलते ऑटो में सवार पिंकी और मासूम राघव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामसनेही और दोनों सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जसवीर को भी हल्की चोटें आईं। हादसे के बाद

गलत दिशा से आ रही कार को बचाते समय ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, हाईवे पर मचा हड़कंप

हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी एंबुलेंस से अस्पताल भेजा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे के बाद ट्रक और कार चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गिरफ्तारी का डबल एक्शन: बांदा पुलिस ने दबोचे दो वांछित अपराधी, बबेरू व बिसण्डा थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी

बांदा। पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलास बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम थाना बबेरू व बिसण्डा पुलिस द्वारा 01-01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब है कि थाना बबेरू मे मु0अ0सं0-180/25 धारा 317(2)/317(4) मे मोटरसाइकिल चोरी करने वाले हिस्ट्रीशीटर वांछित अभियुक्त पंकज वर्मा को मुखबिर की सूचना पर औगासी रोड नहर पटरी मोड के पास मे गिरफ्तार कर लिया । अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जन्दा कारतूस बरामद हुए । इसी क्रम मे थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 115/23 धारा 376/363/366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त श्यामसुन्दर त्रिवेदी को मुखबिर की सूचना पर बिसण्डा बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । दोनों वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संबंधित मा0 न्यायालय भेजा गया ।

नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म की घटना का वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

बहराइच। पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच द्वारा महिलाओं व बालिकाओ के प्रति होने वाले अपराध की रोकथाम एवं महिलाओ/बालिकाओ के प्रति अपराध कारित करने वाले अपराधियों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी नानपारा प्रद्युम्न सिंह के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज मोतीपुरवा उ0नि0 नितेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा नाबालिक बालिका का अपहरण करने के संबंध में थाना रूपईडीहा पर पंजीकृत मु0अ0स0 166/2025 धारा 137(2), 65(1) बीएन एस व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST ACT से संबंधित वाँछित अभियुक्त सिपाही लाल पुत्र राधेश्याम निवासी बनघुसरी थाना नवाबगंज जनपद बहराइच उम्र करीब 24 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर आज प्राइवेट बस स्टैण्ड रूपईडीहा थाना रूपईडीहा से गिरफ्तार किया गया। बाद विधिक कार्यवाही अभियुक्त को पेशी हेतु न्यायालय सदर बहराइच रवाना किया गया ।

दूर संचार सलाहकार समित के सदस्य बने प्रदीप मिश्र

कानपुर । शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित द्वारा वी एस एस डी कॉलेज के पूर्व महामंत्री प्रदीप मिश्रा का दूरसंचार सलाहकार समित का सदस्य बनाए जाने पर पटका पहना कर मिठाई खिला कर उनके उज्वल भविष्य की कामना के साथ सम्मान किया गया। प्रदीप मिश्र ने भी अपने स्वागत से अभिभूत सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त किया और सदस्य के रूप में दूरसंचार विभाग की समस्याओं के निदान हेतु तत्पर रहने का वादा किया।

देवर-भाभी की आत्महत्या से उठे कई सवाल, मानसिक तनाव या रिश्ता? पुलिस जांच में जुटी

बरेली।

इज्जतनगर क्षेत्र में देवर-भाभी द्वारा आत्महत्या की घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस के लिए यह मामला अब गंभीर जांच का विषय बन गया है क्योंकि दोनों की मौतें कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई हैं। मृतक अंकित की शादी 2021 में हुई थी, लेकिन पत्नी की दो साल पहले कैंसर से मौत के बाद से ही वह मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा था। कुछ समय तक उसका इलाज भी चला। मोहल्लेवालों के मुताबिक वह गुस्सैल स्वभाव का था और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ जाता था। वहीं सोनी का अपने पति विवेक से विवाद चल रहा था। वह करीब आठ महीने मायके में रही और दो महीने पहले ही विवेक उसे माफी मांगकर वापस लाया था। अंकित और सोनी दोनों ही एक ही फंदे से लटके पाए गए, इस बात ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। कुछ लोग इसे एक भावनात्मक रिश्ता

मान रहे हैं तो कुछ इसे तनाव और अवसाद की परिणीति कह रहे हैं। सोनी के मायकेवालों ने पति विवेक पर शराब और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। हालांकि अब तक किसी पक्ष ने पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शहर कप्तान मानुष पारीक ने बताया कि अभी आत्महत्या के कारणों को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

हरचंदा गाँव में स्वास्थ्य मेले के ज़रिए जागरूकता की नई लहर

बहराइच।

जिले के जरवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत हरचंदा में आयोजित स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कुल 534 लोगों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 2 सौ किशोर-किशोरियों ने भी स्वास्थ्य सेवाएं लीं। मेले का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और मोबियस फाउंडेशन के सहयोग से 'उम्मीद परियोजना' के अंतर्गत हुआ। कार्यक्रम में बाल विवाह और परिवार नियोजन पर खुलकर संवाद हुआ और इतनी भी क्या जल्दी है कैंपेन पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य किशोरियों में समय से पहले शादी और समय से पहले गर्भधारण को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डीपीएम सरजू खान ने कहा कि कम उम्र में शादी और जल्दी गर्भधारण से माँ और बच्चे की सेहत पर विपरीत असर पड़ता

है। लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद और गर्भधारण 20 वर्ष की उम्र के बाद हो, साथ ही दो बच्चों के बीच कम से कम तीन साल का अंतर हो ताकि माँ का शरीर अगली गर्भावस्था के लिए तैयार हो सके। पीएफआई की साफिया जमीर ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में परिवार नियोजन के आधुनिक साधन उपलब्ध है, जिसमें कंडोम, कॉपर-टी, गोलियाँ, इंजेक्शन जैसे अस्थायी और पुरुष व महिला नसबंदी जैसे स्थायी साधन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दंपती अपनी सुविधा अनुसार आशा कार्यकर्ता व सीएचसी में मौजूद काउंसलर की मदद से सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए 'उम्मीद एक्सप्रेस' मोबाइल वैन गाँव-गाँव जाकर परिवार नियोजन परामर्श, स्वास्थ्य जानकारी और सेवाएं उपलब्ध करा रही है। मालूम हो कि स्वास्थ्य मेले में 33 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 74 लोगों को अस्थायी परिवार नियोजन सेवाएं दी गईं। 88 किशोरियों और महिलाओं को सेनेटरी पैड भी वितरित किए गए।

बाल विवाह से लेकर परिवार नियोजन तक, सब पर खुलकर हुई बात,शिविर में 534 लोगों को मिली स्वास्थ्य सेवाएँ

इस मौके पर ग्राम प्रधान, हरचंदा मो0 फहीम ने कहा कि गर्भपात कोई समाधान नहीं है। बल्कि समय रहते सुरक्षित और सरल परिवार नियोजन साधन अपनाना चाहिए। यह महिला की सेहत और हर परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी है। इस आयोजन में आरबीएसके टीम से डॉ. समा अफरोज, रविंद्र चौधरी, बीपीएम आदित्य, आयुष्मान मित्र सफिल, सीएचओ, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी, कम्युनिटी चैंपियन, कोटेदार, स्काउट गाइड से कल्बन इदरीशी, पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जीपीओ रामबरन यादव , पीसी अजय शुक्ला, एफओ बिंदू व फील्ड फैसलीटेटर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

बारादरी में महिलाओं की अश्लील तस्वीरें वायरल, परिजनों की चेतावनी जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आत्मदाह

बरेली।

बारादरी क्षेत्र में दो महिलाओं की एडिट की गई अश्लील तस्वीरें वायरल किए जाने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात आरोपी ने न सिर्फ महिलाओं की छवि को धूमिल किया, बल्कि उनके पति व अन्य परिजनों को भी व्हाट्सएप पर ये आपत्तिजनक फोटो भेजीं। इस घिनौनी हरकत से आहत परिजनों ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आत्मदाह करेंगे। घटना 13 जुलाई की शाम करीब 6–07 बजे की है। बारादरी क्षेत्र निवासी युवक के मोबाइल पर अचानक उसकी पत्नी की एडिट की गई अश्लील फोटो

अज्ञात आरोपी ने एडिट कर भेजीं आपत्तिजनक तस्वीरें, महिलाओं के परिजनों के मोबाइल पर भी वायरल कीं फोटो

भेजी गई। कुछ देर बाद उसके साढ़ू के मोबाइल पर भी उसकी पुत्रवधु की अश्लील तस्वीर आ गई। तस्वीरें इतनी आपत्तिजनक थीं कि महिलाएं उन्हें देखकर बदहवास हो गईं। तस्वीरें मिलने के बाद दोनों परिवार थाने पहुंचे और अज्ञात नंबर से भेजी गई फोटो की शिकायत की। पीड़ितों का कहना है कि इस कृत्य ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात किया है। मोहल्ले में चर्चा फैलने के बाद

महिलाएं घर से निकलने में डर रही हैं। परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे थाने के बाहर आत्मदाह करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनके परिवार की नहीं, बल्कि हर महिला की अस्मिता से जुड़ी लड़ाई है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच में जुटी है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शहीद शिक्षामित्रों की याद कर किया नमन, रखा दो मिनट मौन

बरेली। शिक्षामित्रों ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया। इस मौके पर मृतक शिक्षामित्रों को याद कर उनको नमन किया गया और आत्मा की शांति के लिए दो मिनट मौन रखा। शिक्षामित्रों ने कहा यही वह दिन है जब एक फैसले ने हजारों शिक्षामित्रों के सपनों को चूर कर दिया था। उसके बाद नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री से संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौपा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष कपिल यादव के नेतृत्व मे शुक्रवार को शिक्षामित्रों ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क मे एकत्र होकर काला दिवस मनाया। कपिल यादव ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों की सुध नही ले रही है। आज महंगाई चरम पर है। उनके सामने भरण पोषण की बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है।

समायोजन के रद्द हो जाने के बाद आठ सालों मे हजारो शिक्षामित्र अवसाद के चलते शहीद हो गए है। लेकिन सरकार को उन पर तरस नही आ रहा है। जिला महामंत्री कुमुद केशव पांडे ने कहा कि 25 जुलाई का यह काला अध्याय हम सभी को कभी नही भूलेगा। शिक्षामित्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश सभी डेढ़ लाख शिक्षामित्रों को नियमितिकरण करते हुए अन्य राज्यों की भांति वेतन देने, वंचित शिक्षामित्र को मूल विद्यालय वापसी, महिला

शिक्षामित्र को उनके ससुराल मे स्थानांतरण करने, ईपीएफ व आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने, मृतक शिक्षामित्र को आर्थिक सहायता के साथ परिवार को एक नौकरी देने, सेवा मुक्त हो रहा शिक्षामित्र को जीवकोपार्जन के लिए सहायता देने उपलब्ध कराने की मांग की। इस अवसर पर अरविंद गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, धर्मेंद्र पटेल, सुरेंद्र यादव, भगवान सिंह यादव, उत्तम कुमार, राकेश कुमार, अर्जुन सिंह, श्रवण कुमार, सर्वेश पटेल, कमलेश कुमार शर्मा, आसिम हुसैन, फरजंद अली, हरपाल सिंह, राजकुमार राजीव उपाध्याय, फुरकत अली आदि लोग शामिल रहे।।

कांवड़िया बने यातायात पुलिसकर्मी, सातों नाथ पर किया जलाभिषेक

बरेली। सावन के पावन माह में शुक्रवार को यातायात पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा पर निकले और कछला गंगाघाट से जल भरकर नाथ नगरी बरेली पहुंचे। यहां सातों नाथ मंदिरों पर गंगाजल से जलाभिषेक कर भगवान शिव से सुख-शांति की कामना की। इस श्रद्धा यात्रा में यातायात उप निरीक्षक विनीत कुमार, जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल पूजा, प्रियंका, अंजना, नितेश भाटी और रमन शामिल रहे। सभी पुलिसकर्मी कांवड़ियों के रूप में पूरे उत्साह और भक्ति भाव से यात्रा करते हुए बरेली पहुंचे। रामगंगा पुलिस चौकी पर थाना सुभाष नगर प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने टीम के साथ हर-हर महादेव के जयघोषों के बीच पुष्पवर्षा कर इन पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। उनके साथ चूटी सबइंस्पेक्टर प्रांशु सावन, आरएसआई श्री राम, मुख्य आरक्षी ओम शरण यादव, कपिल कुमार, मोहम्मद असलम और गायत्री पहिय भी मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों की यह भक्ति और सेवा का समन्वय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।

असम (सक्षम भारत) कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गाँधी ने अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ गुवाहाटी मेंराजनीतिक मामलों की समिति, पीसीसी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, फंटल संगठन प्रमुख और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। छाया –सक्षम भारत

संसद में एसआईआर का शोर, कामकाज 28 जुलाई तक स्थगित

नई दिल्ली ।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में चल रही मतदाता सूची के पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव समेत कई सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से वोटर

'मतदाता सूची को लेकर इंडिया ब्लॉक का संसद के बाहर हंगामा, लिस्ट फाड़कर किया विरोध

सूची की कॉपी फाड़कर उसे कूड़ेदान में फेंका और सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले चलाकर जनता के मतदान अधिकार को छीनने की कोशिश है।

राहुल और प्रियंका का हमला
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद

परिसर में एसआईआर सूची फाड़कर विरोध जताया। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा सांसद डिंपल यादव भी थीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह लोकतंत्र है। सभी राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की जानकारी होनी चाहिए। जब हमने यह सूची मांगी, तो क्यों नहीं दी गई? आखिर क्या छुपाया जा रहा है?

> अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने पर सहमति बनी। इससे यह उम्मीद जगी कि अगले सप्ताह से निचले सदन में बिना किसी व्यवधान के कामकाज चलेगा।

एसआईआर संविधान के खिलाफ- खरगे
राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार की मंशा गरीबों को वोटिंग से बाहर रखने की है, जिससे केवल अमीर वोट करें। यह पूरी प्रक्रिया संविधान के खिलाफ है। हम इसी एसआईआर के विरोध में लड़ रहे हैं। खरगे ने भी एसआईआर की सूची को फाड़कर विरोध दर्ज कराया और इसे कूड़ेदान में फेंका।

ये लोकतंत्र की हत्या है- प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र की हत्या है। हम हर लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करते रहेंगे। सरकार जनता के संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है।

डिंपल यादव ने उठाया पारदर्शिता का मुद्दा
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। अगर यह प्रक्रिया जरूरी थी तो पहले क्यों नहीं की गई? चुनाव से पहले अचानक क्यों की जा रही है? इससे लगभग 50 लाख वोटर प्रभावित होंगे और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है।

शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी का बयान
शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भाषा से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में दुर्भावना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिन दस्तावेजों को लाना मुश्किल है, उनकी मांग अनुचित है। चुनाव आयोग को वैकल्पिक दस्तावेजों को सूची में शामिल करना चाहिए।

भाजपा विधायक का पलटवार
वहीं, भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वे सिर्फ हंगामा करना जानते हैं। राज्य की जनता सब देख रही है। उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और कहा कि अगर उनके पास पारिवारिक संपत्ति न होती तो वे इस पद पर नहीं होते। वह एक भ्रमित नेता हैं।

राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरी, 8 बच्चों की मौत

27 घायल; छात्रा बोली-पहले कंकड़ गिरे, लेकिन शिक्षक ने ध्यान नहीं दिया; 5 टीचर सस्पेंड

नई दिल्ली ।

शुक्रवार को सुबह राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे 8 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पीएम मोदी ने 'एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, ''राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा, ''घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्राधिकारी पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

सीएम भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री ने जताया दुख
वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को

पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख

निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति दें।

प्रार्थना के दौरान हुआ हादसा, जांच के आदेश
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक, हादसा उस वक्त हुआ जब पीपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे प्रार्थना के लिए खड़े थे। इसी दौरान अचानक से स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई। घटना के समय स्कूल में करीब 38 बच्चे मौजूद थे। इस घटना ने सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले की गहन जांच कराने के आदेश दिए हैं, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

तीनों स्तर पर सेना तैयार, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी है जारी - सीडीएस

नई दिल्ली । चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत का सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर जारी है और सेनाएं दूसरी तरफ से किसी भी दुस्साहस के लिए चौबीसों घंटे तैयार हैं। सीडीएस चौहान ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले कहा युद्ध में कोई दूसरा नहीं होता, और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए, जो अभी भी जारी है; हमारी तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। दिल्ली में एक रक्षा संगोष्ठी में बोलते हुए सीडीएस चौहान ने कहा कि प्रौद्योगिकी उन्नत हो गई है और

ऑपरेशन सिंदूर पर अनिल चौहान का बड़ा बयान, सेना 24 घंटे तैयार है

योद्धाओं को युद्ध के तीनों स्तरों अर्थात सामरिक, परिचालन और रणनीतिक में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास से प्रेरित एक अभूतपूर्व गति देख रहे हैं। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जिसे मैं सैन्य मामलों में तीसरी क्रांति कहता हूं, जिसे मैंने अभिसरण युद्ध के रूप में गढ़ा है। युद्ध का यह रूप गतिज और अगतिज साधनों का सम्मिश्रण करता है, और पहली और दूसरी पीढ़ी के युद्ध के तत्वों को तीसरी पीढ़ी के युद्ध के साथ जोड़ता है। यह सामरिक, परिचालन और रणनीतिक क्षेत्रों का अभिसरण है। सीडीएस सिन्हा ने कहा कि यह समय है जब सेना को शस्त्र (युद्ध) और शास्त्र दोनों को समझना चाहिए। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जोरदार और सटीक हमले किए और नौ से ज्यादा आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। ये ठिकाने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख कमांड सेंटर थे, जो पुलवामा (2019) और मुंबई (2008) जैसे बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार थे। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अगले तीन दिनों 8, 9 और 10 मई में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

तेजस्वी की जान को खतरा, चार बार जानलेवा हमले हुए - राबड़ी

पटना । राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद् की सदस्य राबड़ी देवी ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राबड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा विधानमंडल के अंतिम सत्र के अंतिम दिन कहा कि तेजस्वी यादव पर चार बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 2005 से चल रही नीतीश कुमार सरकार में असुरक्षा को लेकर उन्होंने चुनाव से पहले यह बड़ा बयान दिया है। इसपर राज्य सरकार ने कहा कि यह चुनावी स्टंट है। अगर ऐसी बात है तो लिखित जानकारी दें, सरकार जांच करेगी। शुक्रवार को बिहार विधान परिषद् परिसर में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। उनपर अब तक चार बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। यह हमले भाजपा और जदयू वाले करवा रहे हैं। यह लोग नाली के कीड़े हैं। इसके बाद राज्य की नीतीश कुमार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के शब्दों का चयन जनता देख रही है। वह अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। वह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राबड़ी देवी के बयान के बाद सरकार का पक्ष डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने रखा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में सुरक्षा बिहार के अंदर सुरक्षा की गारंटी है। तेजस्वी यादव समेत दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री को भी सरकार की ओर से काफी सुरक्षा दी गई है। इनलोगों ने जनता को खूब डराया है, इसीलिए अब खुद डर रहे हैं। अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लगता है कि उनके बेटे को जान का खतरा है तो वह सरकार को लिखित दें। यह पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है। विपक्ष के लोगों की सोच काली हो गई है। इन्हें न तो संवैधानिक संस्था पर विश्वास है और न ही संविधान पर। इन्हें केवल लाठीतंत्र पर विश्वास है।

नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार, देश को कर रहे गुमराह, खड़गे का पीएम पर बड़ा हमला

नई दिल्ली । दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमें अधिकार के लिए लड़ना इसलिए जरूरी है, क्योंकि मांगने पर भी हमें अधिकार नहीं दिया जाएगा। हमको कभी संघर्ष करना पड़ता है, कभी ताकत दिखानी होती है, चुनाव के वक्त अपने उसूलों पर चलने वाले को चुनकर लाना होता है। उन्होंने कहा कि ओबीसी की आवाज तभी सुनी जाएगी, जब ओबीसी के लोग चुनकर आएंगे। खड़गे ने दावा किया कि मोदी जी खुद को ओबीसी बोलते हैं, पहले वो अपर कास्ट में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी कम्यूनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया। फिर उन्होंने अपनी चालबाजी शुरू की, ओबीसी के लोगों के बीच बोलते हैं कि भाईयों-बहनों मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, मुझे सताया जाता है। लेकिन.. अब वो सबको सता रहे हैं, और अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। झूठ बोलना ही उनका काम है। उन्होंने देश से झूठ बोला कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, विदेश से कालाधन लाऊंगा, सबको 15-15 लाख दूंगा, किसानों को एमएसपी दूंगा और बैकवर्ड क्लास की आमदनी बढ़ा दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी संसद तक में झूठ बोलते हैं। इसलिए हमें लोगों को समझाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री देश, समाज का भला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को तीन चीजों की जरूरत है। विचार (शिक्षा), मनुष्य बलऔर आर्थिक बल। इन तीन चीजों में से किसी के पास एक भी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस-बीजेपी के लोग जहर बांटते हैं। ये लोगों को आपस में बांटने का काम करते हैं, लेकिन हमें एकजुट रहना है। हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। जिस तरह से आजादी के समय लोगों ने साथ दिया था, वैसे ही अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए- ये कहने की हिम्मत सिर्फ राहुल गांधी जी ने दिखाई। इसलिए हम सभी को राहुल गांधी जी का साथ देना है। राहुल गांधी जी पिछड़ों-वंचितों का साथ देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं- ऐसे में आपको उनका साथ देना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एससी,एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी सिर्फ तकरीर करते रहते हैं। यहां तक कि वो खुद कहते हैं कि मैं नॉन-बायोलॉजिकल हूं, मुझे भगवान ने भेजा है।

कांग्रेस शासनकाल में जाति जनगणना न कराना मेरी गलती है, इसे ठीक करूंगा- राहुल गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी श्रेणी के तहत प्रोफेसरों के लगभग 80 प्रतिशत पद खाली रहने पर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। गांधी ने एक्स पर कहा कि बहुजनों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, मनुवादी बहिष्कार नहीं। गांधी ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के तहत प्रोफेसर के 83 प्रतिशत पद, उसके बाद ओबीसी श्रेणी के तहत 80 प्रतिशत पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। उन्होंने आगे कहा, एससी (अनुसूचित जाति) के लिए 64 प्रतिशत (प्रोफेसर पद) जानबूझकर खाली रखे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह, एसटी 65 प्रतिशत,

ओबीसी 69 प्रतिशत, एससी 51 प्रतिशत के एसोसिएट प्रोफेसर पद भी खाली हैं। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़े बहुजनों के वंचना और संस्थागत मनुवाद का ठोस सबूत हैं। बहुजनों को शिक्षा से दूर रखने की साजिश का आरोप लगाते हुए, गांधी ने हाशिए पर पड़े समुदायों और उनके मुद्दों को सार्वजनिक चर्चाओं से बाहर रखने की बात

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, कहा- यह बहुजन को दूर रखने की साजिश

कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि बहुजनों को शिक्षा, शोध और नीति-निर्माण से दूर रखने की एक सुनियोजित साजिश है। विश्वविद्यालयों में बहुजनों की अपर्याप्त भागीदारी के कारण, हाशिए पर पड़े समुदायों के मुद्दों को जानबूझकर शोध और विमर्श से बाहर रखा जाता है। गांधी ने आगे कहा, -एनएफएस (नॉट फाउंड सूटेबल) के नाम पर, मनुवादी मानसिकता के तहत हजारों योग्य एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा रहा है, और सरकार कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है।

डीआरडीओ ने किया ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली । भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। देश में लगातार एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और स्वदेशी विमानों का निर्माण हो रहा है। इस दिशा में नेतृत्व कर रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ । अब डीआरडीओ ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है।

उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल ड्रोन से लॉन्च की जाती है और इसमें अत्यंत सटीक लक्ष्यभेदन की क्षमता है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, "ULPGM-V3 सिस्टम के विकास और इसके सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ , उद्योग भागीदारों, रक्षा उत्पादन कंपनियों, MSME और स्टार्टअप्स को हार्दिक बधाई। यह उपलब्धि इस बात को साबित करती है कि भारतीय उद्योग अब उन्नत रक्षा तकनीकों को अपनाने और उनके उत्पादन में पूरी तरह सक्षम है। इस सफलता से न केवल भारत की रक्षा क्षमताएं और मजबूत होंगी, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी। डीआरडीओ की यह उपलब्धि देश को रक्षा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक और निर्णायक कदम मानी जा रही है।

बंगाली भाषा विवाद : एक और भाषा आंदोलन की ज़रूरत-ममता बनर्जी

बंगाल । बंगाली भाषा को लेकर उठे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और भाषा आंदोलन का आह्वान किया और आरोप लगाया कि कई स्थानों पर बंगाली बोलने के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। महानायक सम्मान पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को जागृत करने के लिए एक और भाषा आंदोलन की आवश्यकता है। कई जगहों पर बंगाली बोलने के कारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। बंगाली दुनिया में पाँचवीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और एशिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 30 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं

और आज बंगाली बोलने वालों को जेल भेजा जा रहा है। व्यापक जनभागीदारी का आह्वान करते हुए, उन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, और मेरा मानना है कि आप भी नहीं कर सकते। सिर्फ बंगाली बोलने के कारण लोगों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर हर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यह मुद्दा सिर्फ मेरा नहीं है; यह सबका है। बंगाल हमारे लिए सब कुछ है। हमें इस जमीन की रक्षा करनी चाहिए मुख्यमंत्री बनर्जी ने अपनी मातृभाषा की सराहना करते हुए कहा कि हम सभी अपनी मातृभाषा बोलते हैं।

बच्चे पहली बार अपनी मातृभाषा में माँ बोलते हैं। हालाँकि, बंगाली भाषा को लेकर भाषा युद्ध छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग, टॉलीवुड, पर कटाक्ष करते हुए, बनर्जी ने संगीत में बंगाली सामग्री की कमी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आजकल हमारे गानों में बंगाली कहाँ है? बस तेज और भड़कीला संगीत है। हमारे पास इसके लिए बॉलीवुड पहले से ही मौजूद है। दक्षिण भारतीय फिल्में भी लोकप्रिय हैं। लेकिन टॉलीवुड में सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि ज्यादा बंगाली गाने होने चाहिए। अपना रुख स्पष्ट करते हुए, बनर्जी ने कहा कि वह अन्य भाषाओं के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उन्होंने बंगाली भाषा के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मैं किसी से दूसरी भाषाओं का अनादर करने के लिए नहीं कह रही हूँ।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी भाषा खो दें। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। हमें सभी भाषाओं पर गर्व है, लेकिन बंगाली को दरकिनार करके हम कुछ नहीं कर सकते। सभी भाषाओं को सद्भाव और एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें बंगाल की संस्कृति को और अधिक विकसित, समृद्ध, व्यापक और जीवंत बनाना होगा। सभ्यता किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है।

गांधीनगर में बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचला, दो की मौत, एक घायल

गांधीनगर । गुजरात के गांधीनगर में एक हिट-एंड-रन का मामला सामने आया है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। एक शख्स घायल हुआ है। आरोपी ड्राइवर ने पीड़ितों को टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। आरोपी पकड़े जाने के समय नशे की हालत में लग रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांधीनगर के इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कार हितेश चिनुभाई पटेल नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हादसे के समय कोई और व्यक्ति कार चला रहा था।

सेक्स के लिए सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने की माँग पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस

नई दिल्ली । भारत में बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा हेतु बनाए गए पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन संबंधों की सहमति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। मगर अब इस प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गहन बहस छिड़ गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, जो Nipun Saksena बनाम भारत सरकार मामले में amicus curiae (न्याय मित्र) के रूप में अदालत की सहायता कर रही हैं, उन्होंने 16 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रोमांटिक या शारीरिक संबंधों के आपराधिकरण को संविधान के खिलाफ बताया है। वहीं, केंद्र सरकार ने अदालत में लिखित रूप से यह कहा है कि सहमति की आयु को 18 वर्ष से कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बच्चों को विशेषकर अपने आसपास के विश्वसनीय लोगों द्वारा होने वाले यौन शोषण से सुरक्षा देने के लिए निर्धारित की गई है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि 18 वर्ष की आयु की कानूनी सहमति सीमा बच्चों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय की गई है। यह पॉक्सो अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता के तहत बाल यौन शोषण के मामलों को रोकने की एक मजबूत कानूनी ढाल है। सहमति की उम्र घटाने से उन अपराधियों को बचाव का रास्ता मिल जाएगा, जो नाबालिगों की भावनात्मक निर्भरता या चुप्पी का फायदा उठाते हैं। सरकार ने बताया कि NCRB और विभिन्न NGO जैसे Save the Children की रिपोर्ट्स के अनुसार 50फीसदी से अधिक बाल यौन शोषण उन्हीं लोगों द्वारा होता है, जो बच्चे के परिचित या विश्वसनीय होते हैं जैसे परिवार के सदस्य, पड़ोसी, शिक्षक आदि। सरकार ने यह भी माना कि अदालत मामले-दर-मामले के आधार पर न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकती है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां किशोर एक-दूसरे के करीब उम्र वाले हैं और संबंध आपसी सहमति से बने हों। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत में जो तर्क प्रस्तुत किए, उसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून 16 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध बना देता है। यह किशोरों की स्वतंत्रता, परिपक्वता और निर्णय लेने की क्षमता को नजरअंदाज करता है। उन्होंने कहा कि 2013 के आपराधिक कानून संशोधन द्वारा सहमति की उम्र बिना किसी सार्वजनिक बहस के 16 से 18 कर दी गई, जबकि जस्टिस वर्मा समिति ने 16 वर्ष बनाए रखने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि किशोरों के बीच शारीरिक संबंध बनना असामान्य नहीं है- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सहित कई आंकड़ों से यह सिद्ध होता है। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि 2017 से 2021 के बीच 16-18 आयु वर्ग के मामलों में पॉक्सो के तहत अभियोजन 180% बढ़ा, जिनमें अधिकतर मामले अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक प्रेम संबंधों के विरोध में परिजनों द्वारा दर्ज किए गए। इंदिरा जयसिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को पॉक्सो या बलात्कार कानूनों से बाहर रखा जाए और close-in-age अपवाद को कानूनी मान्यता दी जाए। देखा जाये तो इस बहस में मूल प्रश्न यह है कि क्या बाल यौन शोषण से सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून अब किशोरों की वैध स्वतंत्रता को दबा रहे हैं? एक पक्ष कहता है कि सहमति की उम्र घटाना अपराधियों को बच निकलने का रास्ता देगा।